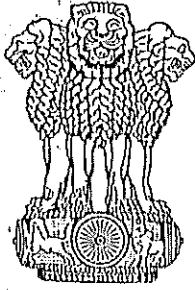
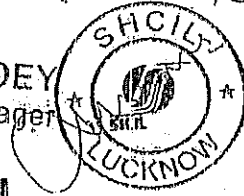


खसरा-183

P. 10754/18

ROOPALI PANDEY
Asst. Manager



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

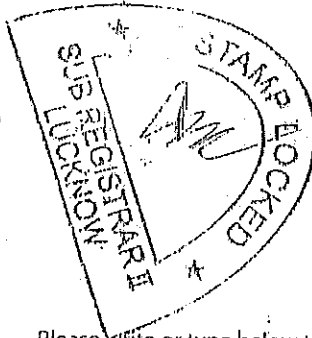
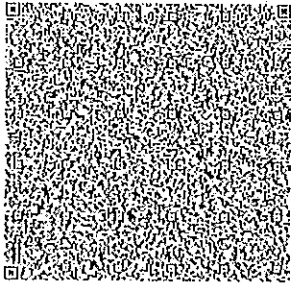
पंजीकृत फिलम जकात र डि डिजिटल सचिव
पंजीकृत संख्या 133307/15
स्टाम्प शुल्क रु 2,61,500/-
विक्टर भन्ना जी अर्पणायितक विद्या

Certificate No.	: IN-UP01210538204783N
Certificate Issued Date	: 14-Jul-2015 01:47 PM
Account Reference	: SHCIL (FI)/ upshcil01/ QAISERBAGH/ UP-LKN
Unique Doc. Reference	: SUBIN-UPUPSHGIL0101456874234953N
Purchased by	: MS VIRAJ CONSTRUCTIONS PVT LTD
Description of Document	: Article 23 Conveyance
Property Description	: KHASRA NO.183, AREA-8470 SQMTR. VILLAGE-SEMRA, PARGANA TEHSIL AND DISTRICT-LUCKNOW.
Consideration Price (Rs.)	: 1,40,00,000 (One Crore Forty Lakh only)
First Party	: BECHAN LAL
Second Party	: MS VIRAJ CONSTRUCTIONS PVT LTD
Stamp Duty Paid By	: MS VIRAJ CONSTRUCTIONS PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.)	: 2,61,500 (Two Lakh Sixty One Thousand Five Hundred only)

उप निशाना दितीव

14/7/15

21720



Please write or type below this line

बेचन लाल



For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

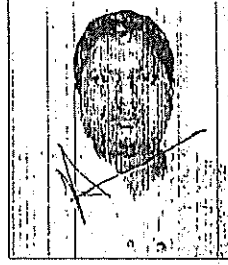
Director



0001955782

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp Certificate should be verified at 'www.shcilstamp.com'. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website renders it invalid
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority



ग्राम : सेमरा
विक्रय मूल्य : ₹0 1,40,00,000 /-
स्टाम्प शुल्क : ₹0 26,16,500 /-
परगना व तहसील : लखनऊ

विक्रय - विलेख

लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण

1	भूमि का प्रकार	:	कृषि
2	परगना	:	लखनऊ
3	ग्राम	:	सेमरा
4	सम्पत्ति का विवरण	:	खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०)
5	मापन की इकाई	:	हेक्टेयर
6	विक्रित सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०)
7	सड़क की स्थिति	:	फैजाबाद रोड से लगभग 1 कि०मी० की दूरी
8	अन्य विवरण	:	विक्रित सम्पत्ति के 50 मी० की परिधि में आवासीय गतिविधियाँ
9	सम्पत्ति का प्रकार	:	कृषि
10	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	:	0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०)
11	सहकारी आवास समिति के सदस्य से संबंधित है	:	नहीं
12	प्रतिफल	:	₹0 1,40,00,000 /-

लेखनील

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director



13	चौहद्दी खसरा संख्या 183
	पूरब : खसरा सं० 181
	पश्चिम : खसरा सं० 187 व 188
	उत्तर : खसरा सं० 182
	दक्षिण : चकरोड

प्रथम पक्ष (1)
विक्रेता का विवरण

बेचन लाल, पुत्र श्री गंगादीन,
निवासी 55, पुराना किला, फतेह
सिंह भवन, लखनऊ।

द्वितीय पक्ष (1)
क्रेता का विवरण

मेसर्स विराज कान्सट्रक्शन प्रा० लि०
कंपनी जो कम्पनीज अधिनियम
1956 के अंतर्गत निगमित एवं
पंजीकृत है तथा जिसका पंजीकृत
कार्यालय 55, पुराना किला,
लखनऊ, द्वारा निदेशक एवं अधिकृत
प्रतिनिधि श्री आर० के० अग्रवाल,
पुत्र स्व० बाबू बनारसी दास, निवासी
55 पुराना किला, लखनऊ।

विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख बेचन लाल, पुत्र श्री गंगादीन, निवासी 55,
पुराना किला, फतेह सिंह भवन, लखनऊ (जिसे एतत् पश्चात्
"विक्रेता" कहा गया है तथा जिसमें उनके उत्तराधिकारी,
प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हैं)

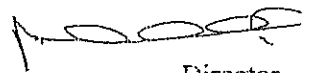
.....प्रथम पक्ष

एवं

मेसर्स विराज कान्सट्रक्शन प्रा० लि० कंपनी जो कम्पनीज
अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित एवं पंजीकृत है तथा

बेचन लाल

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.



Director

जिसका पंजीकृत कार्यालय 55, पुराना किला, लखनऊ, द्वारा निदेशक एवं अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर० के० अग्रवाल, पुत्र स्व० बाबू बनारसी दास, निवासी 55 - पुराना किला, लखनऊ (जिसको एतत् पश्चात् क्रेता कहा गया है तथा जिसमें इसके उत्तराधिकारी एवं प्रतिनिधि आदि सम्मिलित हैं)

..... द्वितीय पक्ष

के मध्य निष्पादित किया गया है।

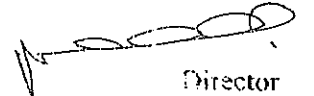
यह कि विक्रेता भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ का स्वामी व अधिकारी है और भू-राजस्व अभिलेखों में विक्रेता का नाम बहैसियत संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है।

यह कि श्री पुत्तीलाल, श्री मनोहर लाल, श्री प्यारे लाल व श्री बिलास खसरा सं० 183 स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ के संक्रमणीय भूमिधर, खातेदार व स्वामी थे।

यह कि श्री मनोहर लाल द्वारा विक्रय विलेख दिनांकित 12.03.2012 द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 183 के 1/4 भाग क्षेत्रफल 0.2117 हे० को विक्रेता के पक्ष में विक्रय किया था, जो

मनोहर लाल

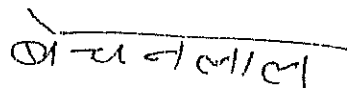
For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

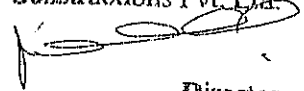

Director

विक्रय विलेख पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 12170 के पृष्ठ सं० 339 से 366 के क्रम सं० 3720 पर दिनांक 12.03.2012 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है ।

यह कि श्री पुत्ती लाल द्वारा विक्रय विलेख दिनांकित 19.03.2012 द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 183 के 1/4 भाग क्षेत्रफल 0.2117 हे० को विक्रेता के पक्ष में विक्रय किया था, जो विक्रय विलेख पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 12212 के पृष्ठ सं० 183 से 202 के क्रम सं० 4284 पर दिनांक 19.03.2012 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है ।

यह कि श्री प्यारे लाल की मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों — श्री राज करन, श्री नरेश, श्री सुरेश, श्री सन्तोष व श्री छोटन द्वारा विक्रय विलेख दिनांकित 01.05.2012 द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 183 के 1/4 भाग क्षेत्रफल 0.2117 हे० को विक्रेता के पक्ष में विक्रय किया था, जो विक्रय विलेख पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 12460 के पृष्ठ सं० 271 से 304 के क्रम सं० 7723 पर दिनांक 01.05.2012 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है ।



For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

Director

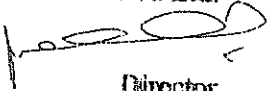
यह कि श्री बिलास की मृत्यु के उपरान्त उनके उत्तराधिकारियों — श्री अशोक कुमार, श्री शिव कुमार, श्री चन्द्र, श्री हरीश चन्द्र व श्रीमती गेंदा द्वारा विक्रय विलेख दिनांकित 22.06.2012 द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 183 के 1/4 भाग क्षेत्रफल 0.2117 हे० को श्री धमेन्द्र के पक्ष में विक्रय किया था, जो विक्रय विलेख पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 12681 के पृष्ठ सं० 89 से 138 के क्रम सं० 10979 पर दिनांक 22.06.2012 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है ।

यह कि श्री धमेन्द्र द्वारा विक्रय विलेख दिनांकित 28.01.2014 द्वारा उक्त भूमि खसरा सं० 183 के 1/4 भाग क्षेत्रफल 0.2117 हे० को विक्रेता के पक्ष में विक्रय किया था, जो विक्रय विलेख पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 14897 के पृष्ठ सं० 207 से 208 के क्रम सं० 1381 पर दिनांक 28.01.2014 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है ।

यह कि इस प्रकार विक्रेता उक्त भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8,470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ (जिसे इस विक्रेय विलेख में

अधन २॥२॥

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director

“विक्रित भूमि” के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है) का सम्पूर्ण रूप से स्वामी, मालिक, कामिल, काबिज व अधिकारी है ।

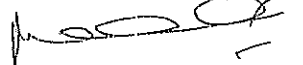
यह कि क्रेता ने उक्त भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला—लखनऊ क्रय करने हेतु विक्रेता से सम्पर्क किया तथा विक्रेता अपनी पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु अपनी उक्त भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ को विक्रय करने के लिए सहमत हो गया है ।

यह कि विक्रेता को उक्त विक्रित भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ पर पूर्ण स्वामित्व प्राप्त है । विक्रेता द्वारा विक्रित भूमि के संबंध में किसी अन्य के पक्ष में कोई अनुबंध विलेख निष्पादित नहीं किया गया है और न ही उक्त विक्रित भूमि को किसी बैंक, वित्तीय संस्था एवं साहूकार के पास बंधक रखा गया है ।

यह कि उक्त भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला —

देव न लाल

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.



Director

लखनऊ को लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित इंटिग्रेटेड टाउनशिप के लिए अधिग्रहीत किये जाने हेतु धारा-4 व 6 भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 में अनुसूचित किया गया है।

यह कि उत्तर प्रदेश शासन की इंटिग्रेटेड टाउनशिप नीति में यह प्राविधान है कि विकासकर्ता सीधे भूमिधर से आपसी सहमति से भूमि क्रय कर सकता है।

यह कि चूंकि उक्त भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ, शासन द्वारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत अनुसूचित है और विक्रेता को इस भूमि का क्रेता द्वारा इंटिग्रेटेड टाउनशिप के लिये उपयोग किये जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। विक्रित भूमि, भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में उल्लिखित है अतः उक्त भूमि का मुआवजा / प्रतिफल रू० 1,40,00,000/- से अधिक नहीं है।

यह कि विक्रेता द्वारा उक्त आश्वासन दिये जाने पर क्रेता उक्त विक्रित भूमि को क्रय करने हेतु इच्छुक है। क्रेता ने उक्त विक्रित भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग

अनुमोदित

For Vinay Constructions Pvt. Ltd.

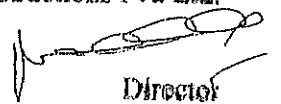

Director

मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ को क्रय करने हेतु विक्रेता के समक्ष रुपये 1,40,00,000/- (रुपये एक करोड़ चालिस लाख मात्र) का प्रस्ताव रखा तथा विक्रेता ने क्रेता के उक्त प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है।

यह कि विक्रेता ने विक्रित भूमि -- खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला - लखनऊ को क्रेता के पक्ष में विक्रय करने के लिए धारा 157-क, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत पूर्वानुमति जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के कार्यालय के द्वारा आदेश सं० 90/डीएलआरसी/14 दिनांक 27.11.2014 से प्राप्त की जा चुकी है। चूंकि उक्त अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक ही अनुमन्य थी, अतः क्रेता ने जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के कार्यालय में उक्त अनुमति की समय-सीमा को संशोधित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, जिसपर जिलाधिकारी महोदय, लखनऊ के कार्यालय के द्वारा आदेश सं० 90(1)/डीएलआरसी/14-15 दिनांक 27.06.2015 के द्वारा उक्त अनुमति को निर्गत तिथि से

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

अमनलाल

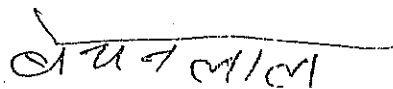

Director

15 दिवस के लिए बढ़ा दिया गया है तथा उक्त अनुमति इस विक्रय विलेख के निष्पादन के समय प्रभावी है ।

यह कि क्रेता और विक्रेता के मध्य विक्रित भूमि के सम्बन्ध में एक विक्रय अनुबन्ध विलेख मय कब्जा दिनांक 28.02.2014 को निष्पादित किया गया है, जो विक्रय अनुबन्ध विलेख मय कब्जा पुस्तक सं० 1, खण्ड सं० 15028 के पृष्ठ सं० 51 से 80 के क्रम सं० 3330 पर दिनांक 28.02.2014 को उप निबन्धक (द्वितीय), लखनऊ के कार्यालय में पंजीकृत है।

यह कि उक्त विक्रय अनुबन्ध विलेख मय कब्जा दिनांकित 28.02.2014 के समय विक्रेता द्वारा क्रेता को रुपये 5,00,000/- (रुपये पांच लाख मात्र) का अग्रिम भुगतान किया जा चुका है और अब इस विक्रय विलेख के निष्पादन के समय शेष धनराशि रु० 1,35,00,000/- (रुपये एक करोड़ पैंतिस लाख मात्र) का भुगतान किया जा रहा है।

यह कि क्रेता कंपनी ने अपनी निदेशक मण्डल की सभा में श्री आर० के० अग्रवाल, पुत्र स्व० बाबू बनारसी दास को कंपनी की ओर से इस विक्रय - विलेख पर हस्ताक्षर करने एवं



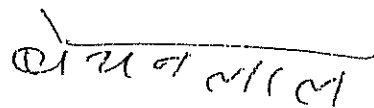
For Viraj Constructions Pvt. Ltd.

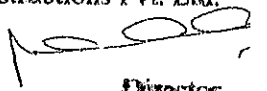

Director

विक्रय — विलेख के पंजीकरण से संबंधित समस्त कार्यवाही करने हेतु अधिकृत किया है।

अतः इस विक्रय विलेख की शर्तें निम्नवत हैं

- 1 यह कि विक्रेता ने क्रेता से रु0 1,40,00,000/— (रुपये एक करोड़ चालिस लाख मात्र) जिसमें से रु0 5,00,000/— (रुपये पांच लाख मात्र) जो कि विक्रय अनुबन्ध विलेख मय कब्जा दिनांकित 28.02.2014 के समय का भुगतान किया जा चुका है और अब इस विक्रय विलेख के निष्पादन के समय शेष धनराशि रु0 1,35,00,000/— (रुपये एक करोड़ पैंतिस लाख मात्र) प्राप्त करने के पश्चात्, जिसका विवरण इस विक्रय विलेख के अन्त में पूर्णरूप से उल्लिखित है, विक्रीत भूमि खसरा सं0 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे0 (8470 वर्ग मी0) स्थित ग्राम सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ, (जिसे इस विक्रेय विलेख में "विक्रीत भूमि" के नाम से सम्बोधित किया जा रहा है) का स्वामित्व एवं वैधानिक अध्यासन क्रेता को सौंप दिया है तथा क्रेता को उक्त विक्रीत भूमि पर समस्त प्रकार के अधिकार प्राप्त हो गये जो विक्रेता को प्राप्त थे।

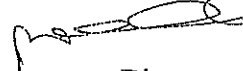


For Vinay Constructions Pvt. Ltd.

Director

- 2 यह कि कि क्रेता इस विक्रय विलेख के निष्पादन के पश्चात् उक्त विक्रित भूमि को अपनी स्वेच्छा से उपयोग एवं उपभोग करने के लिए पूर्णतया स्वतन्त्र है। विक्रेता ने क्रेता को उक्त विक्रित भूमि समस्त प्रकार के भार जैसे दानपत्र, विक्रय विलेख, अनुबन्ध विलेख, बन्धक एवं न्यायालय की डिक्री आदि से मुक्त अन्तर्हित किया है।
- 3 यह कि विक्रेता ने क्रेता को आश्वासन दिया है कि यदि विक्रित भूमि अथवा उसका कोई अंश विक्रेता के स्वत्व या स्वामित्व में दोष या त्रुटि पाये जाने पर क्रेता के स्वामित्व एवं अध्यासन से निकल जाता है तब विक्रेता क्रेता को होने वाली क्षति की पूर्ति करने के उत्तरदायी होगा। यदि विक्रेता क्षतिपूर्ति करने में असफल होता है तब क्रेता को अधिकार होगा कि वह विक्रेता की चल एवं अचल सम्पत्ति में से होने वाली क्षति की पूर्ति कर लें जिसमें होने वाले समस्त व्यय की जिम्मेदारी भी विक्रेता की होगी।
- 4 यह कि इस विक्रय विलेख के आधार पर क्रेता को अपने पक्ष में राजस्व अभिलेखों, नगर निगम व लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ में विक्रित भूमि के सम्बन्ध में अपना नाम

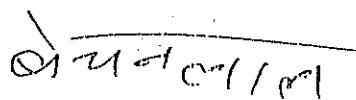
अथवा 27/1/21

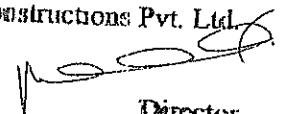
For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director

प्रविष्टि करा ले इसमें विक्रेता को कोई आपत्ति नहीं होगी एवं यथासम्भव सहयोग प्रदान करेगा।

- 5 यह कि विक्रेता ने क्रेता को उक्त विक्रित भूमि का कब्जा विक्रय अनुबन्ध विलेख मय कब्जा दिनांकित 28.02.2014 के माध्यम से सौंप दिया है।
- 6 यह कि विक्रेता ने क्रेता को यह आश्वासन दिया है कि उक्त विक्रित भूमि समस्त भार से मुक्त है तथा उक्त विक्रित भूमि के स्वामित्व में कोई दोष एवं त्रुटि नहीं है।
- 7 यह कि उक्त विक्रित भूमि का उपयोग एवं उपभोग क्रेता द्वारा बिना किसी व्यक्ति के हस्तक्षेप एवं बाधा के स्वेच्छा से किया जायेगा।
- 8 यह कि इस विक्रय-विलेख की पाबन्दी उभयपक्ष व उभयपक्ष वारिसान पर समान रूप से होगी।
- 9 यह कि विक्रित भूमि खाता सं० 00059 खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० (8,470 वर्ग मी०) स्थित ग्राम सेमरा परगना, तहसील व जिला - लखनऊ सड़क से हटकर स्थित है, और उक्त विक्रित भूमि किसी भी जनपद मार्ग,



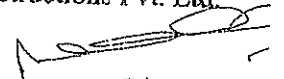
For Viny Constructions Pvt. Ltd.

Director

लिंक मार्ग, खड़न्जा मार्ग एवं अन्य मार्ग पर स्थित नहीं है।
उक्त विक्रित भूमि आबादी से 50 मीटर की परिधि में स्थित है।

- 10 यह कि इस विक्रय — विलेख के माध्यम से कृषि भूमि खसरा सं० 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे० स्थित ग्राम—सेमरा, परगना, तहसील व जिला — लखनऊ को विक्रय किया जा रहा है। विक्रेता विक्रित भूमि का उपयोग कृषि प्रयोजन हेतु ही कर रहा है तथा क्रेता को इसी रूप में विक्रित भूमि का अन्तरण कर रहा है, जिस कारण ही विक्रेता द्वारा कार्यालय जिलाधिकारी, लखनऊ से विक्रित कृषि भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति (क्रेता) के पक्ष में विक्रय किये जाने की पूर्वानुमति उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 157—क के अन्तर्गत प्राप्त की गयी है अन्यथा ऐसी अनुमति आवश्यक नहीं थी। विक्रित भूमि कृषि प्रयोजन की है अतः इसका उचित बाजार मूल्य रु० 1,40,00,000/— से अधिक नहीं है परन्तु चूंकि विक्रित कृषि भूमि के कुछ अंश को अवैधानिक एवं अनाधिकृत रूप से प्लॉटिंग आदि करके कुछ अन्य लोगों द्वारा आवासीय प्लॉट

अधिन्याय

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director

के रूप में पूर्व में विक्रय किया जा चुका है, अतः क्रेता द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित मूल्यांकन सूची के अनुसार विक्रित कृषि भूमि पर आवासीय की दर से स्टाम्प शुल्क की अदायगी करने की बाध्यता है अन्यथा दौरान निबन्धन कार्यवाही अथवा भविष्य में इस विक्रय विलेख पर स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क की कमी आरोपित हो जायेगी । जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित मूल्य तालिका के अनुसार विक्रित भूमि का कृषि भूमि की दर से वर्तमान मालियत रु० 1,58,32,000/- ही है, जो कि विक्रित भूमि का उचित मूल्य है परन्तु विक्रित कृषि भूमि पर उपरोक्त कारणवश कृषि प्रयोजन होने के बावजूद आवासीय भूमि की दर से स्टाम्प शुल्क का भुगतान किये जाने की बाध्यता है । अतः जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा निर्धारित मूल्य तालिका प्रभावी दिनांक 05.12.2014 के अनुसार प्रथम 1000 वर्ग मी० भूमि की मालियत रु० 6000/- प्रति वर्ग मी० की दर से मुबलिक रु० 60,00,000/-, शेष भूमि 7470 वर्ग मी० भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा जारी रेट लिस्ट के अनुसार $6000 - 30\% = \text{रु० } 4200/-$ प्रति वर्ग मी० निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार शेष भूमि क्षेत्रफल 7470 वर्ग मी०

अचल माल

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director

14/7/2015
लखनऊ

विनोद चन्द यादव
उप-निबंधक (हिंदी)

विनोद चन्द यादव
उप-निबंधक (हिंदी)



433/1118/001 श्री लाल रामचंद्र बालाबाला लखनऊ

श्री लाल

पुत्र श्री

श्री

विनोद

लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

14/7/2015

लखनऊ

उप-निबंधक (हिंदी)

विनोद चन्द यादव

विनोद चन्द यादव
उप-निबंधक (हिंदी)

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

विनोद कोट लखनऊ

भूमि की मालियत रू0 3,13,74,000/— होती है, इस प्रकार कुल विक्रित भूमि क्षेत्रफल 8470 वर्ग मी0 की मालियत रू0 60,00,000 + रू0 3,13,74,000 = रू0 3,73,74,000/— होती है, जिस मालियत पर स्टाम्प शुल्क रू0 26,16,500/— देय होता है चूंकि विक्रय अनुबन्ध दिनांकित 28.02.2014 के समय स्टाम्प शुल्क रू0 23,55,000/— अदा किया जा चुका है अतः शेष स्टाम्प शुल्क रू0 2,61,500/— इस विक्रय विलेख के समय अदा किया जा रहा है।

विवरण विक्रित भूमि

भूमि खसरा सं0 183 क्षेत्रफल 0.8470 हे0 (8,470 वर्ग मी0) स्थित ग्राम सेमरा परगना, तहसील व जिला — लखनऊ जिसकी चौहद्दी निम्नवत् है:—

पूरब :	खसरा सं0 181
पश्चिम :	खसरा सं0 187 व 188
उत्तर :	खसरा सं0 182
दक्षिण :	चकरोड

विक्रय— विलेख हेतु दी गई प्रतिफल धनराशि के भुगतान का विवरण

1. क्रेता ने विक्रेता को रुपये 2,00,000/— (रुपया दो लाख मात्र) बजरिये ड्राफ्ट संख्या 722761 दिनांक 28.02.2014

अचललाल

For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director



1010 1212

Registration No.: 10754

Year:

2,015

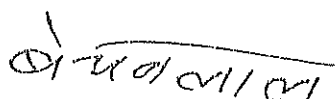
130000 No.

विद्युत्

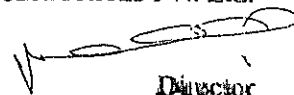
आहरित बैंक — पंजाब नेशनल बैंक, अशोक मार्ग, लखनऊ
के द्वारा विक्रय अनुबन्ध विलेख दिनांकित 28.02.2014 के
समय भुगतान किया ।

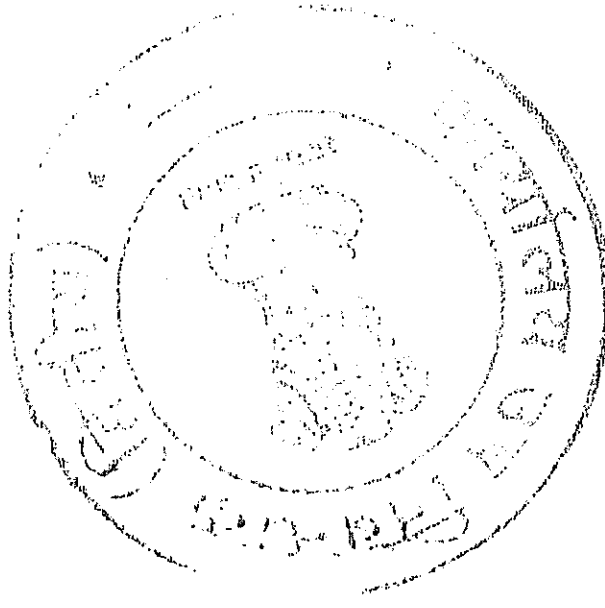
2. क्रेता ने विक्रेता को रुपये 3,00,000/— (रुपया तीन लाख मात्र) नगद का भुगतान विक्रय अनुबन्ध विलेख दिनांकित 28.02.2014 के समय किया ।
3. क्रेता ने विक्रेता को रुपये 1,33,60,000/— (रुपया एक करोड़ तैंतिस लाख साठ हजार मात्र), बजरिये चैक संख्या 077147 दिनांक 11.07.2015 आहरित बैंक — पंजाब नेशनल बैंक, मिड कारपोरेट शाखा, अशोक मार्ग, लखनऊ इस विक्रय विलेख के निष्पादन के समय भुगतान किया ।
4. क्रेता ने रुपये 1,40,000/— (रुपये एक लाख चालिस हजार मात्र) अग्रिम आयकर के रूप में कटौती की है, जो धनराशि आयकर विभाग में क्रेता द्वारा विक्रेता के पक्ष में जमा की जायेगी ।

इस प्रकार क्रेता ने विक्रेता को कुल रु0 1,40,00,000/—
(रुपये एक करोड़ चालिस लाख मात्र) का भुगतान किया ।
विक्रेता उक्त भुगतान को पाना स्वीकार करता है ।



For Viraj Constructions Pvt. Ltd.


Director



0201
ಶರಣ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
ಶರಣ್ಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬಾಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ
55 ಪುರಾಣಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿ
ಬಾಳೆ

ಶರಣ್ಣಿ

Registration No. : 10754

Year 2015

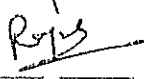
Book No. :

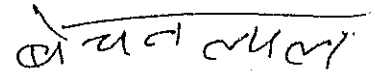
1

अतः इस विक्रय -- विलेख को क्रेता एवं विक्रेता अपने-अपने स्वस्थ चित्त, स्वतंत्र बुद्धि, बिना प्रलोभन तथा बिना दबाव के साक्षीगण के समक्ष निष्पादित किये हैं जिसे आवश्यकतानुसार साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सके।

दिनांक :

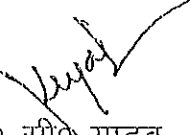
साक्षीगण

1- 
राजुल कुमार,
एडवोकेट
सिविल कोर्ट, लखनऊ

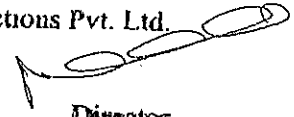


(बेचन लाल)
विक्रेता



2- 
के० सी० यादव
पुत्र स्व० गंगाराम यादव
नि० चिनहट, लखनऊ ।

For Viny Constructions Pvt. Ltd.


Director



(आर० के० अग्रवाल)
निदेशक

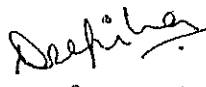
(मेसर्स विराज कान्सट्रक्शन प्रा० लि०)
क्रेता

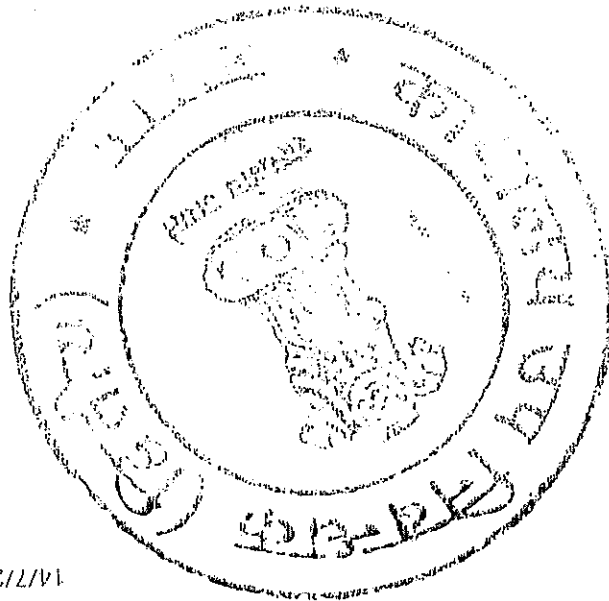
पैन नं० AACCV2888C

मसविदाकर्ता


(सचिन गर्ग)
एडवोकेट

टाइपकर्ता:


(दीपिका श्रीवास्तव)



14/7/2015

संलग्नक

उप-निदेशक (वित्त)

विशेष एवं यादव

प्रमाणित किया गया कि

प्रमाणित किया गया ।

पृष्ठ सं 357 में 392 पर संयुक्त 10754

वर्ष 1, जून 17040

आगत दिनांक 14/07/2015 को